रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2896] नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 27, 2018/ श्रावण 5, 1940
No. 2896] NEW DELHI, FRIDAY, JULY 27, 2018/SHRAVANA 5, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जुलाई, 2018

का.आ. 3682(अ).—जबकि, केन्द्रीय सरकार ने,राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) (जिसे इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम के रूप में संदर्भित किया गया है) की धारा 11 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत के राजपत्र, असाधारण,भाग-II, खण्ड-3,उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 27 जुलाई, 2016 की अधिसूचना संख्या का. आ. 2556 (अ) के *तहत* द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कृष्णा, विजयवाड़ा-सह-मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा, के न्यायालय को उक्त अधिनियम की धारा-11 की उप-धारा (1) के प्रयोजनार्थ अनुसूचित अपराधों के विचारण के लिए पूरे आंध्र प्रदेश राज्य में अधिकार क्षेत्र वाले विशेष न्यायालय के रूप में अधिसूचित किया था;

और जबकि, श्री ए. वी. रवीन्द्र बाबू, मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा, जिन्हें भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित दिनांक 11 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3861 (अ) के तहत उक्त विशेष न्यायालय की अध्यक्षता करने के लिए न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था, का स्थानातंरण हो गया है;

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा-11 की उप-धारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा 11 दिसम्बर, 2017 की अधिसूचना संख्या का. आ. 3861 (अ) का अधिक्रमण करते हुए, सिवाय उन कार्यों के,जिन्हें ऐसे अधिक्रमण के पूर्व सम्पादित कर लिया गया था अथवा करने से लोप कर दिया गया था, हैदराबाद उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश पर श्री जी. वी. सुब्रमण्यम, मेट्रोपोलिटन सत्र न्यायाधीश-सह-द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विजयवाड़ा को उक्त विशेष न्यायालय के न्यायाधीश के बतौर अध्यक्षता करने हेतु एतद्द्वारा नियुक्त करती है।

[फा. सं. 17011/50/2009/आईएस-IV (पार्ट-।)(वोल्यू.2)]

प्रवीण वशिष्ठ , संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th July, 2018

S.O. 3682(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government had, *vide* notification number S.O. 2556 (E) dated the 27th July, 2016, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), notified the Court of II Additional District and Sessions Judge, Krishna at Vijayawada-cum-Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada, as the Special Court for the purposes of sub-section (1) of section 11 of the said Act having jurisdiction throughout the State of Andhra Pradesh for the trial of Scheduled Offences;

And whereas, Shri A.V. Ravindra Babu, Metropolitan Sessions Judge, Vijayawada, who was appointed as the Judge to preside over the said Special Court *vide* notification number S.O. 3861(E) dated the 11th December, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), has been transferred;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 11 of the National Investigation Act, 2008 (34 of 2008) and in supersession of the notification number S.O. 3861(E) dated the 11th December, 2017, except in respect of things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, on the recommendation of the Hon'ble Chief Justice, High Court of Judicature at Hyderabad, hereby appoints Sri G.V. Subramanyam, Metropolitan Sessions Judge-cum-II Additional District and Sessions Judge, Vijayawada, as the Judge to preside over the said Special Court.

[F. No. 17011/50/2009/IS-IV (Part-I)(Vol. 2)]

PRAVEEN VASHISTA, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2018.07.30 12:10:16 +05'30'